R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XII ◆ अंक 1
जुलाई 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली दिशानिर्देशों में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने बैंकों की संगठनात्मक संरचना, कारोबार मॉडलों, प्रौद्योगिकी के उपयोग (कोर बैंकिंग सल्यूशन के कार्यान्वयन) आदि में हुए बदलावों की दृष्टि से वाणिज्यिक बैंकों के समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।

(I) समवर्ती लेखापरीक्षा का क्षेत्र

समवर्ती लेखापरीक्षा अनिवार्यतः एक प्रबंधन प्रक्रिया है जो सुदृढ़ आंतरिक लेखांकन कार्यों और प्रभावी नियंत्रणों की स्थापना और एक सतर्क आंतरिक लेखापरीक्षा को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे कि गंभीर त्रुटियों और जालसाजीपूर्ण हेरा-फेरी की घटनाओं को रोका जा सके। लेखापरीक्षा में आवश्यक रूप से देखना होगा कि लेनदेन अथवा निर्णय प्रधान कार्यालय द्वारा निर्धारित नीतिगत मानदंडों के अंदर हों, वे रिज़र्व बैंक के अनुदेशों या नीति निर्धारण का उल्लंघन नहीं करते हों और वे प्रतिनियुक्त प्राधिकार के अंदर हों।

(II) कारोबार/शाखाओं का कवरेज

जोखिम वाले नए क्षेत्रों को समवर्ती लेखापरीक्षा के दायरे के अंदर लाया जा सकता है। गैर-शाखा यूनिटों को समवर्ती लेखापरीक्षा के दायरे के अंदर लाया जा सकता है। उच्च जोखिम वाली शाखाएं समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन की जानी हैं, भले ही उनका कारोबार कितना भी हो। इसके अतिरिक्त, सभी विशेषीकृत शाखाएं अर्थात कृषि, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई), कॉर्पोरेट, खुदरा आस्तियां, पोर्टफोलियो प्रबंध, खज़ाना, विदेशी मुद्रा, बैक ऑफिस आदि को समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। कुछ क्षेत्र जहां कंप्यूटरीकरण के कारण जोखिम कम हुआ है, वहां कोर बैंकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन को समवर्ती लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। शाखाओं में समवर्ती लेखापरीक्षा में कम से कम बैंक के 50 प्रतिशत अग्रिम और जमाराशियां कवर होनी चाहिए। निम्नलिखित में समवर्ती लेखापरीक्षा की जानी चाहिएः

(क) अंतिम जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) में उच्च जोखिम या इससे अधिक जोखिम की रेटिंग वाली शाखाएं या आंतरिक लेखापरीक्षा में पाई गई गंभीर कमियांवाली शाखाएं;

(ख) सभी विशेषीकृत शाखाएं जैसे बड़े कॉर्पोरेट, मध्यम कॉर्पोरेट, असाधारण रूप से बड़ी/बहुत बड़ी शाखाएं (ईएलबी/वीएलबी), एसएमई;

(ग) सभी केंद्रीकृत प्रोसेसिंग यूनिटें जैसे ऋण प्रोसेसिंग यूनिटें (एलपीयू), सेवा शाखाएं, केंद्रीकृत खाता खोलने वाले प्रभाग आदि,

(घ) कोई विशेषीकृत गतिविधि जैसे धन प्रबंध, पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाएं, कार्ड उत्पाद प्रभाग आदि, डेटा केंद्र, विदेशी मुद्रा कारोबार , निवेश बैंकिंग आदि करने वाले ट्रेजरी/शाखाएं तथा बड़ी विदेशी शाखाएं, महत्वपूर्ण प्रधान कार्यालय विभाग, और

(ङ) कोई अन्य शाखा या विभाग जहां बैंक की राय में समवर्ती लेखापरीक्षा वांछनीय है।

(III) कवर की जाने वाली गतिविधियों के प्रकार

(i) समवर्ती लेखापरीक्षा की मुख्य भूमिका लेनदेनों और अन्य सत्यापनों के समकालिक आंतरिक नियंत्रण का कार्य करने तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन में बैंक के प्रयासों को पूरा करना है।

(ii) समवर्ती लेखापरीक्षा का दायरा व्यापक होना चाहिए/कुछ जालसाजी संभावित क्षेत्रों जैसे नकदी की हैंडलिंग, जमाराशियों, अग्रिम, विदेशी मुद्रा कारोबार, ऑफ-बैलेंस शीट मद, क्रेडिट कार्ड कारोबार, इंटरनेट बैंकिंग आदि पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए।

(iii) समवर्ती लेखापरीक्षा का विस्तृत दायरा स्पष्ट होना चाहिए तथा इसका निर्धारण बैंक के निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के परामर्श से बैंक के निरीक्षण और लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संपूर्ण बैंक के लिए एकसमान किया जाना चाहिए।

(iv) दायरे का निर्धारण करने में लघु राशि के लेनदेनों की बजाय बड़े वित्तीय प्रभाव वाले उच्च जोखिम लेनदेनों की जांच को महत्व दिया जाना चाहिए।

(v) जबकि समवर्ती लेखापरीक्षा के विस्तृत दायरे का निर्धारण और अनुमोदन एसीबी द्वारा किया जा सकता है, कवरेज की कुछ न्यूनतम मदें प्रदान की गई हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, जिन मदों में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को समवर्ती लेखापरीक्षा के तहत कवर करने के लिए बैंकों को विशेष रूप से सूचित किया है, उन्हें समवर्ती लेखापरीक्षकों की जांचसूची का भाग बनाया जा सकता है।

(पृष्ठ 2 पर जारी)

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली दिशानिर्देशों में संशोधन	1
• बड़े ऋणों से संबंधित सूचना का केंद्रीय निधान (CRILC) में उपलब्ध सूचना का उपयोग करें : बैंकों को सलाह	2
• भारतीय रिज़र्व बैंक केवीपी और सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए बैंकों को एजेंसी कमीशन अदा करेगा	2
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्थिर दर एलएएफ और एमएसएफ परिचालनों की एसटीपी की शुरूआत की	2
• बैंक अपनी एसएलआर और एमएसएफ़ प्रतिभूतियों को 1 दिन बकेट में स्लॉट कर सकते हैं	2
• ऋणों की पुनर्रचना हेतु भावी नकदी प्रवाहों के लिए कटौती दर	2
मुद्रा	
• अब '100 के नोटों पर अंक बढ़ते आकार में	3
सहकारी बैंकिंग	
• एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने संबंधी दिशानिर्देश	3
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
• तंबाकू से संबंधित कार्यों (activities) में संलग्न कंपनियों में निवेश	3
• ईडीएफ के बगैर न बिके हुए अपरिष्कृत हीरों का पुनर्निर्यात	3
वित्तीय बाजार	
• 22 जुलाई से मिबिड/माइबोर के स्थान पर नए स्वतंत्र बेंचमार्क	3
गैर-बैंकिंग विनियमन	
• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिग्रहण के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन	4
• ऋण संकेंद्रण मानदंडों की प्रयोज्यता	4
भुगतान और निपटान प्रणालियां	
• मास ट्रैंजिट सिस्टम के लिए प्रीपैड भुगतान लिखतों पर अंतिम दिशानिर्देश	4
वित्तीय समावेशन	
• वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति	4

बड़े ऋणों से संबंधित सूचना का केंद्रीय निधान (CRILC) में उपलब्ध सूचना का उपयोग करें : बैंकों को सलाह

रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों(क्षेत्रीय ग्रामीणबैंकों को छोड़कर) को सूचित किया कि वे बड़े ऋणों से संबंधित सूचना का केंद्रीय निधान (CRILC) में उपलब्ध सूचना का उपयोग करें और सम्यक सतर्कता को केवल उस बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने तक सीमित न करें जिससे ग्राहक अपनी घोषणा के अनुसार ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। बैंकों को CRILC डाटाबेस में उपलब्ध डाटा से यह सत्यापन कर लेना चाहिए कि ग्राहक ने किसी अन्य बैंक से ऋण तो नहीं प्राप्त किया है। साथ ही बैंक उस अदाकर्ता बैंक से भी ''अनापत्ति प्रमाणपत्र'' मांगे जहां चेक के माध्यम से चालू खाता में आरंभिक जमा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी उधारकर्ताओं के ऋण एक्सपोजर से संबंधित डाटा के एकत्रीकरण, संग्रहण और प्रसार के लिए बड़े ऋणों से संबंधित सूचना का केंद्रीय निधान (CRILC) स्थापित किया है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे अपनी ऋण संबंधी जानकारी की सूचना CRILC को रिपोर्ट करें।(2 जुलाई 2015 का डीबीआर सं.एलईजी.बीसी.25/09.07.005/2015-2016)

भारतीय रिज़र्व बैंक केवीपी और सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए बैंकों को एजेंसी कमीशन अदा करेगा

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि किसान विकास पत्र, 2014 और सुकन्या समृद्धि खाता योजना से संबंधित कार्य करने के लिए प्राधिकृत बैंकों को मौजूदा दरों के अनुसार एजेंसी कमीशन का भुगतान किया जाए। इसके अलावा, भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाते के कार्यान्वयन के संबंध में बैंकवार और क्षेत्रवार साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया है। तदनुसार, इस योजना को कार्यान्वित करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों की संख्या दर्शाते हुए क्षेत्रवार साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग को भेजें तथा उसकी एक प्रति संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, सेमिनारी हिल्स, नागपुर - 440 006 को भेजें । (डीजीबीए.जीए डी.सं.14/15.02.003/2015-16, दिनांक 02 जुलाई 2015)

समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली दिशानिर्देशों में संशोधन

(पृष्ठ 1 से जारी....)

(IV)) लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और जवाबदेही

(i) समवर्ती लेखापरीक्षा बैंक के अपने स्टाफ या बाह्य लेखापरीक्षकों (जिसमें बैंक का सेवानिवृत्त स्टाफ शामिल हो सकता है) द्वारा कराई जाए, यह विकल्प अलग-अलग बैंकों के विवेक पर छोड़ा गया है।

(ii) यदि बैंक ने अपने स्वयं के अधिकारी नियुक्त किए हैं तो वे अनुभवी, सुप्रशिक्षित और पर्याप्त रूप से वरिष्ठ होने चाहिए। समवर्ती लेखापरीक्षा में नियुक्त किया जाने वाला स्टाफ शाखा से स्वतंत्र हो जहां समवर्ती लेखापरीक्षा करनी हो।

(iii) बाह्य लेखापरीक्षा की नियुक्ति शुरू में एक वर्ष के लिए की जा सकती है जिसे बाद में तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है जिसके बाद लेखापरीक्षक को संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर दूसरी शाखा में भेजा जा सकता है।

(iv) यदि बाह्य फर्में नियुक्त की जाती हैं और उनके कार्य में किसी प्रकार की गंभीर भूल-चूक देखी जाती है तो उनकी नियुक्तियों को रद्द किया जा सकता है और इसकी जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक और आईसीएआई की दी जा सकती है।

इनके अलावा इन दिशानिर्देशों में (v) प्रभावी समवर्ती लेखापरीक्षा, (vi) मेहनताना और (vii) रिपोर्टिंग प्रणालियों के संबंध में अनुदेश भी शामिल हैं।

समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली को बैंक की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अंग माना जाता है जिससे अनियमितताओं और कमियों का समय पर पता सुनिश्चित किया जा सकता है,जो शाखाओं में फर्जी लेनदेनों को रोकने में भी मदद करता है, बैंक का प्रबंध तंत्र इस प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के प्रति गंभीर ध्यान देता रहे,जिनमें शाखाओं का चयन/कारोबारी परिचालनों का कवरेज़, लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, उचित रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं, अनुवर्ती कार्रवाई/संशोधन प्रक्रियाएं और उचित तथा तीव्र प्रबंधन निर्णयों के लिए इस प्रणाली की प्रतिसूचना का उपयोग शामिल है।

रिज़र्व बैंक ने आगे बैंकों को सूचित किया है कि वे तुरंत समवर्ती लेखापरीक्षा की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करें और उसमें आवश्यक बदलाव शामिल करें। फिर बैंक की संशोधित समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली को निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के समक्ष रखा जाए। बैंक वर्ष में एक बार इस प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा करे और इस प्रणाली के कार्यान्वयन में कमियों को ठीक करने के लिए आवश्यक उपाय करे। (डीबीएस.सीओ.एआरएस.सं.बीसी.2/08.91.021/2015-16, दिनांक 16 जुलाई 2015)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्थिर दर एलएएफ और एमएसएफ परिचालनों की एसटीपी की शुरूआत की

चलनिधि प्रबंधन परिचालनों को सुचारु बनाने में किए जा रहे प्रयासों के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 27 जुलाई 2015 को स्थिर दर के एलएएफ रिपो, स्थिर दर के एलएएफ प्रतिवर्ती रिपो और एमएसएफ परिचालनों में स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) की शुरुआत की गई। इससे पात्र सहभागी बोलियां या प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद ही निर्धारित टाइम विंडो के अंतर्गत क्रेडिट या डेबिट प्राप्त कर सकेंगे बशर्ते यह समर्थक प्रतिभूतियों या निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। पात्र सहभागियों द्वारा बोलियां/प्रस्तावप्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। यह एसटीपी 03 अगस्त 2015 (सोमवार) से प्रारंभ होगी।

पूर्व की भांति पात्र सहभागी संबंधित चलनिधि सुविधाओं में एकाधिक बोलियां/प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। लेनदेन का निपटान बोली/प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद स्वचालित रूप से किया जाएगा। सहभागी द्वारा किया गया लेनदेन अंतिम होगा और बोली अथवा प्रस्ताव के निरस्तीकरण के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

एटीपी की शुरुआत के बाद स्थिर दर के एलएएफ रिपो, स्थिर दर के एलएएफ प्रतिवर्ती रिपो और एमएसएफ की संबंधित सुविधा की उपलब्धता का टाइम विंडो पूर्ववत् रहेगा। एलएएफ और एमएसएफ विंडो के समय को निकट भविष्य में और बढ़ाया जाएगा ताकि पात्र सहभागियों को इन विंडो का परिचालन करने में और लचीलापन मिल सके।

इन सुविधाओं का स्वचालन किए जाने से इन सुविधाओं के विवेकात्मक स्वरूप पर किसी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ेगा तथा प्रणाली में व्याप्त चलनिधि की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि उपलब्ध कराने/निकालने की सीमा निर्धारित किया जाना जारी रहेगा। एलएएफ और एमएसएफ से संबंधित अन्य निबंधन व शर्तों में कोई बदलाव नहीं है।

बैंक अपनी एसएलआर और एमएसएफ़ प्रतिभूतियों को 1 दिन बकेट में स्लॉट कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) को अपनी अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों और एमएसएफ़ हेतु पात्र प्रतिभूतियों को 1 दिन बकेट में स्लॉट करने के लिए अनुमति प्रदान की हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न टाइम बकेट्स में डीटीएल प्रोफाइल के अनुरूप एसएलआर बनाए रखने हेतु पुनर्निवेश के लिए आवश्यक राशि को छोड़कर, अनुमोदित प्रतिभूतियों को संबंधित मच्यूरिटी बकेट्स में स्लॉट किया जाना चाहिए। हालांकि, अनिवार्य एसएलआर से अधिक प्रतिभूतियाँ तथा एमएसएफ़ के अंतर्गत पात्र प्रतिभूतियाँ भी उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार स्लॉट की जानी थीं, किन्तु रिपो और एमएसएफ़ के जरिये चलनिधि के लिए उनकी सहज उपलब्धता वर्तमान में एनडीटीएल का 2% के मद्देनजर वास्तव में ये प्रतिभूतियाँ 1 दिन बकेट में स्लॉट किए जाने के लिए आवश्यक विशेषताएँ प्रदर्शित करती हैं। (2 जुलाई 2015 का बैंविवि.सं.बीपी. बीसी.26/21.04.098/2015-2016)

ऋणों की पुनर्रचना हेतु भावी नकदी प्रवाहों के लिए कटौती दर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि पुनर्रचना के बाद ऋणों के उचित मूल्य में गिरावट की गणना के लिए भावी नकदी प्रवाहों से कटौती करने हेतु पुनर्रचना के पहले उधारकर्ता पर लगाई गई वास्तविक ब्याज दर के बराबर दर का प्रयोग किया जाए। जिन मामलों में किसी उधारकर्ता के लिए मौजूदा ऋण सुविधाओं पर भिन्न भिन्न ब्याज दरें लागू हों, भारित औसत ब्याज दर को (पुनर्रचना की तारीख को उधारकर्ता के कुल बकाया में प्रत्येक ऋण सुविधा के हिस्सों को भारों के रूप में प्रयोग करते हुए) कटौती दर के रूप में प्रयुक्त किया जाए। इस कटौती दर को पुनर्रचना-पूर्व नकदी प्रवाहों तथा उत्तर-पुनर्रचना नकदी प्रवाहों दोनों से कटौती करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। परियोजना ऋणों के निवल वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य सहित, जहां भी बैंकों से अपेक्षित है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऋणों के उचित/वर्तमान मूल्य की गणना करें, उपर्युक्त पद्धति का प्रयोग निरंतर किया जा सकता है। यह अनुदेश उन सभी परियोजनाओं के लिए लागू होगा जिनमें उपर्युक्त परिपत्र के अंतर्गत परिशोधन अनुसूची में परिवर्तन किया गया है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पुनर्रचना के बाद ऋणों के उचित मूल्य में कमी की

गणना हेतु भावी नकदी प्रवाहों से कटौती करने के लिए जिस दर का प्रयोग किया जाएगा वह पुनर्रचना की तिथि पर लागू बैंक के बेंचमार्क मूल उधार दर अथवा आधार दर (उधारकर्ता के लिए जो भी लागू हो) तथा समुचित टर्म प्रीमियम व पुनर्रचना की तिथि को उधारकर्ता की श्रेणी के लिए ऋण जोखिम प्रीमियम के बराबर होगी।(2 जुलाई 2015 का बैंविवि.सं.बीपी. बीसी.27/21.04.048/2015-2016)

मुद्रा

अब ₹100 के नोटों पर अंक बढ़ते आकार में

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जून 2015 को महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 में ₹100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट नए संख्या पैटर्न के साथ जारी किए हैं। इन नोटों के दोनों संख्या पैनलों में अंक बाएं से दाएं ओर बढ़ते आकार में होंगे जबकि शुरुआत में आने वाले पहले तीन अक्षरांकीय अंक समान आकार में रहेंगे।

अंकों को बढ़ते हुए आकार में छापना बैंकनोटों की एक दृश्य सुरक्षा विशेषता है ताकि आम जनता असली और नकली नोट के अंतर को आसानी से समझ सके। रिज़र्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से हमेशा भारतीय बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं में सुधार करता रहा है जिससे कि नोटों के जालीकरण को मुश्किल बनाया जा सके और आम जनता असली नोटों को आसानी से पहचान सके।

संख्या के बढ़ते हुए आकार वाले इन बैंकनोटों का डिजाइन नए संख्या पैटर्न को छोड़कर अन्य सभी प्रकार से महात्मा गांधी श्रृंखला-2005 में जारी किए गए वर्तमान ₹100 के बैंकनोटों के समान होगा। बैंकनोटों के अग्रभाग और पृष्ठ भाग पर "₹" चिह्न रहेगा, दोनों संख्या पैनलों पर इनसेट लेटर 'R' रहेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ रघुराम जी. राजन के हस्ताक्षर होंगे तथा बैंकनोट के पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष '2015' मुद्रित होगा।

रिज़र्व बैंक द्वारा पहले जारी किए गए सभी ₹ 100 के बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।अन्य सभी मूल्यवर्गों में एक चरणबद्ध तरीके से नया संख्या पैटर्न शुरूकिया जाएगा।

सहकारी बैंकिंग

एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने संबंधी दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) वाले सहकारी बैंकों (प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) को प्रायोजक बैंक के साथ गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत एटीएम कार्ड/एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) के उप सदस्य होने के नाते ऐसे बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्रायोजक बैंक द्वारा जोखिम प्रबंधन के संबंध में बताई जाने वाली अपेक्षाओं की पूर्ति करें और प्रायोजक बैंक के साथ किए गए करार के अंतर्गत उन पर डिवॉल्व व्यय की राशि अदा करें। बैंकों को कार्ड जारी करने, कार्डों के प्राधिकरण और ग्राहक सहयोग/निवारण तंत्र के संबंध में स्वयं ही व्यवस्था करनी चाहिए और अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए। (डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी). परिपत्र सं. 1/16.20.000/2015-16, दिनांक 16 जुलाई 2015)।

विदेशी मुद्रा प्रबंध

तंबाकू से संबंधित कार्यों (activities) में संलग्न कंपनियों में निवेश

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, तंबाकू अथवा तंबाकू जैसे पदार्थ के सिगार, चिरूट, सिगरोल तथा सिगरेट के निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निषिद्ध है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यह निषेध ऊपर दिए गए उत्पादों के निर्माण पर लागू है और थोक में कैश ऐंड कैरी, फुटकर ट्रेडिंग, आदि सहित इन उत्पादों से संबंधित अन्य कार्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सेक्टोरल प्रतिबंधों द्वारा विनियमित होंगे।(3 जुलाई 2015 का ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 2)

ईडीएफ के बगैर न बिके हुए अपरिष्कृत हीरों का पुनर्निर्यात

ऐसे न बिके हुए अपरिष्कृत हीरों, जिनका आयात विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनज़ेड) पर निःशुल्क आधार पर किया गया हो, के पुनर्निर्यात को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को यह स्पष्ट किया है कि ऐसे न बिके हुए अपरिष्कृत हीरों के लिए निर्यात घोषणा फार्म (ईडीएफ) संबंधी किसी औपचारिकता को पूरा करना ज़रूरी नहीं जब उनका पुनर्निर्यात एसएनज़ेड (सीमा-शुल्क के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होने के नाते) से बिना किसी देशी प्रशुःल्क क्षेत्र (दे.प्र.क्षे.) के माध्यम से होते हुए किया जाता हो।

एसएनज़ेड में अपरिष्कृत हीरों के विभिन्न लॉटों वाले परेषित मालों को ले जाते समय उनके साथ बीजक के माध्यम से नोशनल मूल्य संबंधी घोषणा-पत्र और परेषित मालों के निःशुल्क स्वरूप को दर्शाते हुए एक पैकिंग सूची भी साथ संलग्न की जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ऐसे अपरिष्कृत हीरों को डीटीए में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक प्रेशस कार्गो कस्टम्स क्लियरेंस सेंटर, मुंबई, पर क्लियरेंस दिए गए लॉट/लॉटों का प्रश्न है खरीदार द्वारा प्रविष्टि बिल दर्ज किया जाएगा। एडी बैंक इस प्रकार के लेनदेनों की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने के बाद निर्यात संबंधी ऐसे भुगतानों की अनुमति दे सकते हैं। साथ ही, एडी बैंकों को ऐसे लेनदेनों के रिकार्ड का रखरखाव भी करना होगा। (ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 1, दिनांक 02 जुलाई 2015)

वित्तीय बाजार

22 जुलाई से मिबिड/माइबोर के स्थान पर नए स्वतंत्र बेंचमार्क

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 जुलाई 2015 को घोषित किया है कि भारत में 22 जुलाई 2015 से मौजुदा ओवरनाइट बेंचमार्क अंतर-बैंक दर के स्थान पर एफबीआईएल ओवरनाइट मुंबई अंतर-बैंक आउटराईट दर (फाइनैंसिएल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड- ओवरनाइट माइबोर) के नाम से नए बेंचमार्क का प्रयोग किया जाएगा । एफबीआईएल-ओवरनाइट माइबोर वास्तविक ट्रेडिड दरों पर आधारित होगी और इसे फाइनैंसिएल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) नामक नई कंपनी द्वारा अभिशासित किया जाएगा। मौजूदा ओवरनाइट मिबिड/माइबोर दर निर्वाचित दरों के आधार पर भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिम्डा) और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा निर्धारित की जाती है।

वित्तीय बाजारों में बेंचमार्क के नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में फाइनैंसिएल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) की फिम्डा, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा संयुक्त रूप से रचना की गई है। इसमें फरवरी 2014 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित की गई वित्तीय बेंचमार्क समिति (अध्यक्षः श्री पी. विजय भास्कर, कार्यपालक निदेशक) की सिफारिशों का अनुपालन किया गया है।

इस समय के दौरान विदेशी मुद्रा बेंचमार्कों और स्टेकधारकों के परामर्श से फाइनैंसिएल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) अन्य भारतीय रुपया ब्याज दर बेंचमार्कों के नियंत्रण का कार्यभार संभाल लेगी। फिम्डा और एफईडीएआई जो भारतीय रुपया ब्याज दर और विदेशी मुद्रा बेंचमार्कों के वर्तमान नियंत्रक हैं, वे एफबीआईएल में अंतरित होने तक भारतीय रुपया ब्याज दर और विदेशी मुद्रा बेंचमार्कों के नियंत्रकों के रूप में कार्य करते रहेंगे। रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए एक उचित व्यवस्था करेगा कि बेंचमार्क निर्धारण प्रक्रिया और इसका अभिशासन ढ़ांचा मजबूत और विश्वसनीय रहे।

कतिपय वित्तीय बाजारों में मुख्य बेंचमार्क दरों में हेर-फेर की रिपोर्टों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने बेंचमार्क निर्धारण प्रक्रिया के मौजूदा ढ़ांचे को विभिन्न उपायों के साथ सुदृढ़ करने का आग्रह किया। इस बात पर विचार करते हुए कि वित्तीय बेंचमार्क सुदृढ़ और विश्वसनीय हों, रिज़र्व बैंक ने बेंचमार्क प्रस्तुतकर्ताओं को सूचित किया कि वे बेंचमार्क प्रस्तुत करने के लिए अभिशासन ढ़ांचे को मजबूत बनाने के लिए

विभिन्न उपायों को लागू करें। इसके अतिरिक्त, फिम्डा और एफईडीएआई ने इन प्रस्तुतकर्ताओं के लिए एक आचार संहिता भी अधिसूचित की थी।

गैर-बैंकिंग विनियमन

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिग्रहण के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन

समीक्षा करने पर रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) को निम्नलिखित के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए:

क) किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अधिकार में लेना या नियंत्रण का अधिग्रहण जिससे प्रबंधन में बदलाव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है;

ख) किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की शेयरधारिता में किसी प्रकार का परिवर्तन जिसमें समय के दौरान प्रगामी वृद्धि भी शामिल हो जिसके परिणामस्वरूप कुछ विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर एनबीएफसी की चुकता इक्विटी पूंजी की 26 प्रतिशत या इससे अधिक की शेयरधारिता का अधिग्रहण/अंतरण होगा।

ग) एनबीएफसी के प्रबंधन में किसी प्रकार का परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों में बदलाव होगा। उन निदेशकों के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है जो सेवानिवृत्ति पर बारी-बारी निर्वाचित किए जाते हैं।

तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने निदेशकों/प्रबंधन में होने वाले परिवर्तन के बारे में सूचना देती रहेंगी जैसाकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998, गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली या होल्डिंग) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली होल्डिंग) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 में अपेक्षित है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकारक्षेत्र में एनबीएफसी का कार्यालय स्थित है, को आवेदन प्रस्तुत करेंगी। बिक्री या शेयरों की बिक्री के द्वारा अंतरण या नियंत्रण के अंतरण के लिए, भले ही शेयरों की बिक्री हो या नहीं, कम से कम 30 दिनों का सार्वजनिक नोटिस दिया जाएगा। रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ऐसा सार्वजनिक नोटिस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य पार्टी या संबंधित पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाएगा। सार्वजनिक नोटिस में स्वामित्व/नियंत्रण की बिक्री या अंतरण का उद्देश्य, अंतरिती के ब्यौरे और स्वामित्व/नियंत्रण की ऐसी बिक्री या अंतरण के कारण का संकेत दिया जाएगा। इस नोटिस को कम से कम एक अग्रणी राष्ट्रीय समाचार-पत्र और एक अग्रणी स्थानीय (पंजीकृत कार्यालय के स्थान को कवर करते हुए) प्रादेशिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाए। (डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं. 065/03.10.001/2015-16, 9 जुलाई 2015 और डीएनबीएस. (पीडी) 029/सीजीएम (सीडीएस)-2015, दिनांक 9 जुलाई 2015)

ऋण संकेंद्रण मानदंडों की प्रयोज्यता

समीक्षा करने पर रिज़र्व बैंक ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (प्राथमिक व्यापारियो को छोड़कर) को सूचित किया है कि वे ऋण/निवेश के संकेंद्रण का निर्धारण करने में निम्नलिखित को शामिल नहीं करें:

(i) एनबीएफसी का अपनी सहायक संस्थाओं के शेयरों में निवेश; (ii) उसी समूह की कंपनियों में उस सीमा तक निवेश जो निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की गणना के लिए स्वाधिकृत निधियों से घटा दिया गया है और

(ii) डिबेंचरों, बांडों का बही मूल्य, प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम का बकाया (किराया-खरीद और पट्टे पर वित्त सहित) और (i) एनबीएफसी की सहायक संस्थाओं और (ii) इस समूह की कंपनियों में उस सीमा तक जमाराशि जिसे निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की गणना के लिए स्वाधिकृत निधियों से घटा दिया गया हो। (डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.064/03.10.001/2015-16, दिनांक 2 जुलाई 2015)

भुगतान और निपटान प्रणालियां

मास ट्रैंजिट सिस्टम के लिए प्रीपैड भुगतान लिखतों पर अंतिम दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2015 को मास ट्रैंजिट सिस्टमों की अलग प्रकार की सेमी-क्लोज्ड प्रीपैड भुगतान लिखतों के निर्गम को सुगम बनाने की दृष्टि से मास ट्रैंजिट सिस्टम की प्रीपैड भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमटीएस) पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए।पीपीआई-एमटीएस का उपयोग मास ट्रैंजिट सिस्टम व्यवस्था के अंतर्गत किया जा सकता है और इसकी न्यूनतम वैधता अवधि निर्गम तारीख से छह माह होगी। ऐसी पीपीआई रीलोडेबल लिखतें होंगी, बशर्ते किसी भी काल-खंड में इसकी बकाया सीमा ₹2,000/- हो। ऐसी पीपीआई-एमटीएस लिखतों का उपयोग मास ट्रैंजिट सिस्टम को छोड़कर ऐसे अन्य व्यापारियों के पास किया जा सकता है जिनके कार्यकलाप ट्रैंजिट सिस्टम से संबद्ध हों या जिनके कार्यकलाप ट्रैंजिट सिस्टम के परिसर के अंदर होते हों।

इस नए प्रकार की सेमी-क्लोज्ड पीपीआई की शुरुआत विभिन्न समूहों, जैसे मेट्रो ट्रेन और सड़क परिवहन सेवाएं, से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए की गई है।पीपीआई-एमटीएस से मुसाफिरों की सुविधा बढ़ेगी और इससे कम-नकदी समाज की ओर आगे बढ़ने के देश के विज़न के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के माइग्रेशन को साकार किया जा सकेगा।

इससे पहले रिज़र्व बैंक ने 28 मई 2015 को अपनी वेबसाइट पर जनता की राय के लिए ''मास ट्रैंजिट सिस्टम की प्रीपैड भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमटीएस)'' से संबंधित परिपत्र का मसौदा उपलब्ध कराया था।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2015 को एक समिति गठित करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन की मापने योग्य मध्यावधि (पांच वर्ष) कार्ययोजना तैयार करना है। श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक,भारतीय रिज़र्व बैंक समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

i. पूर्व में गठित विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्तीय समावेशन नीति की समीक्षा करना जिसमें सहायक भुगतान प्रणाली और ग्राहक संरक्षण ढांचा शामिल है।

ii. वित्तीय समावेशन के लिए बाहरी देशों के अनुभवों का अध्ययन, विशेषकर प्रौद्योगिकी आधारित प्रदायगी मॉडलों के क्षेत्र में मुख्य जानकारी प्राप्त करना जिसका प्रयोग रिज़र्व बैंक की नीतियों और प्रथाओं में किया जा सके।

iii. अंतर्निहित नीति और संस्थागत ढांचे को स्पष्ट करना जिसमें ग्राहक संरक्षण और वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन के प्रदायगी तंत्र को कवर किया गया हो, वित्तीय समावेशन में घरेलू और लघु कारोबार को शामिल किया जाए जिसमें समूह-आधारित ऋण प्रदायगी व्यवस्था के साथ ग्रामीण समावेशन पर विशेष रूप से जोर दिया जाए।

iv. वित्तीय समावेशन के विभिन्न घटकों जैसे भुगतान, जमाराशि, ऋण, सामाजिक सुरक्षा अंतरण, पेंशन और बीमा के संबंध में निगरानी योग्य मध्यावधि कार्ययोजना का सुझाव देना और

v. अन्य संबंधित मुद्दों की जांच करना।

यह याद होगा कि रिज़र्व बैंक की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में रिज़र्व बैंक से आग्रह किया था कि रिज़र्व बैंक वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन देने और संधारणीय वित्तीय समावेशन के लिए मध्यावधि से दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाए।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**